

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 246 वीं बैठक दिनांक 19.07.2017 को सांय 04.00 बजे आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। एजेण्डा संख्या 1 से 31 एवं अतिरिक्त एजेण्डा संख्या 1 से 12 अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक मास्टर प्लान द्वारा तथा अतिरिक्त एजेण्डा संख्या 13, 14 एवं 15 संबंधित उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसका कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :-

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्री एच.गुईटे, सचिव, जविप्रा जयपुर।
2. श्री ओ.पी. बुनकर, अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।
3. श्रीमती लवंग शर्मा, निदेशक आयोजना, जविप्रा, जयपुर।
4. श्रीमती साधना शर्मा, सदस्य सचिव, भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे :

1. श्री मनोज कुमार उपायुक्त जोन-4, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री सत्यप्रकाश कस्वा उपायुक्त जोन-7, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री अशोक कुमार चौधरी उपायुक्त जोन-8, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री मधु सूदन पालीवाल उपायुक्त जोन-9, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री देवेन्द्र कुमार जैन उपायुक्त जोन-11, जविप्रा, जयपुर।
6. श्री राजकुमार सिंह उपायुक्त जोन-12, जविप्रा, जयपुर।
7. श्री सुरेन्द्र सिंह यादव उपायुक्त जोन-14, जविप्रा, जयपुर।
8. श्री राकेश कुमार गुप्ता उपायुक्त पीआरएन-दक्षिण, जविप्रा, जयपुर।
9. श्री गणपाल सैनी उप नगर नियोजक, बीपीसी-एलपी, जविप्रा, जयपुर।
10. श्री श्याम कुमार मालू कनिष्ठ अभियंता-पीआरएन-दक्षिण, जविप्रा, जयपुर।
11. सहायक नगर नियोजक जोन-4,7,8,9,11,12,14, पीआरएन दक्षिण, जविप्रा, जयपुर।
12. श्रीमती उषा जैन सलाहकार, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा संख्या:-1 (246/19.07.2017)

विषय:-बी.पी.सी (एलपी) की 245 वी बैठक दिनांक 30.05.2017 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि बाबत।

समिति द्वारा कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

एजेण्डा संख्या:-2-(जोन-4)-(246/19.07.2017)

विषय:-न्यू पिकसिटी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना सिद्धार्थ नगर-डी पार्ट ए व पार्ट बी के अनुमोदन के संबंध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन रिट पिटिशन संख्या 1554/2004 के परीपेक्ष में प्रकरण को स्थगित रखा जावे।

एजेण्डा संख्या:-3-(जोन-6)-(246/19.07.2017)

विषय:-ग्राम माचडा तहसील आमेर के ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड खसरा नं. 284/1, 287/1, 287/2 क्षेत्रफल 8590.67 वर्ग मीटर भूमि पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3-ए के अर्न्तगत एकल पट्टा अनुमोदन बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर आवेदित भूमि पर प्रचलित प्रावधान अनुसार पैरामीटर्स देते हुये मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3-ए के अर्न्तगत एकल पट्टा अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या:-4-(जोन-6)-(246/19.07.2017)

विषय:-ग्राम झोटवाडा तहसील जयपुर के खसरा नं. 26/1338, 28, 29 क्षेत्रफल 9161.28 वर्ग गज भूमि पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना प्रोविजन 3-ए के अर्न्तगत एकल पट्टा अनुमोदन बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर आवेदित भूमि पर प्रचलित प्रावधान अनुसार पैरामीटर्स देते हुये मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3-ए के अर्न्तगत एकल पट्टा अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या:-5-(जोन-7)-(246/19.07.2017)

विषय:-ग्राम गिरधारीपुरा तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 30 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा व खसरा नं. 36 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 6 बीघा भूमि पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना प्रोविजन 3ए के अर्न्तगत एकल पट्टा अनुमोदन बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर आवेदित भूमि का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 में रिक्तियेशनल दर्शित है अतः वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट पिटिशन संख्या 1554/2004 के परीपेक्ष में प्रकरण को स्थगित रखा जावे।

एजेण्डा संख्या:-6-(जोन-7)-(246/19.07.2017)

विषय:-राजस्व ग्राम सिरसी तहसील व जिला जयपुर के खसरा नं. 2047 रकबा 4 बीघा 07 बिस्वा भूमि पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रोविजन 3ए अर्न्तगत एकल पट्टा अनुमोदन बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर आवेदित भूमि पर प्रचलित प्रावधान अनुसार पैरामीटर्स देते हुये मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3-ए के अर्न्तगत एकल पट्टा अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या:-7-(जोन-7)-(246/19.07.2017) उच्च

विषय:-यूनाईटेड टाउनशिप कॉरपोरेशन सोसायटी की योजना चौरडिया सिटी-II अजमेर रोड के भूखण्ड संख्या जी.एच.-1 क्षेत्रफल 7571.07 वर्ग मीटर (9054 वर्ग गज) का मुख्यमंत्री जन आवास योजना प्रोविजन 3ए के अर्न्तगत एकल पट्टा अनुमोदन बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर आवेदित भूमि पर प्रचलित प्रावधान अनुसार पैरामीटर्स देते हुये मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3-ए के अर्न्तगत एकल पट्टा अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या:-8 -(जोन-7)-(246/19.07.2017)

विषय:-राजस्व ग्राम सिरसी तहसील व जिला जयपुर के खसरा नं. 2129, 2130, 2131, 2138/2, 2122, 2124, 2138/1, 2126, 2127, 2128, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2140, 2125, 2114 व 2047/1 कुल किता 19 रकबा 15.02 बीघा एवं ग्राम भांकरोटा कला तहसील सांगानेर जिला जयपुर के खसरा नं. 84, 117/3, 118, 117/2, 118/2, 119/1, 117, 118/1, 117/1, 119, 120/1, 121/1, 120 व 121 कुल किता 14 रकबा 1.24 हैक्टेयर अर्थात कुल किता 33 कुल रकबा 5.06 हैक्टेयर (20बीघा) भूमि पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रोविजन 3ए अर्न्तगत अनुमोदन बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर आवेदित भूमि पर प्रचलित प्रावधान अनुसार पैरामीटर्स देते हुये मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3-ए के अर्न्तगत एकल पट्टा अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या:-9-(जोन-8)-(246/19.07.2017)

विषय:- निजी खातेदारी की अनुमोदित योजना पर्ल रिगेलिया में सुविधा क्षेत्र की भूमि का एण्डयूज परिवर्तन अतिरिक्त मुख्य अभियंता पी.एच.ई.डी जयपुर रीजन-2 को पेयजल हेतु उपलब्ध करवाने बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निजी खातेदारी की अनुमोदित योजना पर्ल रिगेलिया में सुविधा क्षेत्र की 738.73 वर्ग मीटर भूमि का एण्डयूज पेयजल (पीएचईडी) किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या:-10-(जोन-8)-(246/19.07.2017)

विषय :-ग्राम जौतडावाला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 414, 415 में स्थित पेट्रोल पम्प भूखण्ड के अनुमोदन बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम जौतडावाला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 414, 415 में स्थित पेट्रोल पम्प अनुमोदन का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या:-11(जोन-9) - (246/19.07.2017)

विषय :- ग्राम नृसिंहपुरा सर्प रिक्षावाला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 622 रकबा 0.2758 हैक्टेयर व खसरा नं. 631 रकबा 0.3600 हैक्टेयर भूमि पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अर्न्तगत एकल पट्टा अनुमोदन बाबत्।



समिति द्वारा विचार विमर्श कर आवेदित भूमि पर प्रचलित प्रावधान अनुसार पैरामीटर्स देते हुये मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3-ए के अर्न्तगत एकल पट्टा अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या:-12 (जोन-9) - (246/19.07.2017)

विषय :-निजी खातेदारी की आवासीय योजना आर.एफ.सी एनक्लेव के ए ब्लॉक में अंकित भूमि सुविधा क्षेत्र (हेल्थ/कम्यूनिटी सेन्टर) का एण्डयूज निर्धारित बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि निजी खातेदारी की आवासीय योजना आर.एफ.सी एनक्लेव के ए ब्लॉक में अंकित भूमि सुविधा क्षेत्र का एण्डयूज पी.एच.ई.डी. किया जावे साथ ही शेष बची हुई सुविधा क्षेत्र की भूमि पर स्थित अनाधिकृत अतिक्रमण को हटाते हुये उपायुक्त जोन द्वारा कब्जा प्राप्त किया जावे।

एजेण्डा संख्या:-13 (जोन-9) - (246/19.07.2017)

विषय :-ग्राम नृसिंहपुरा उर्फ रिक्शावाला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 616 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नं. 617 रकबा 0.16 हैक्टेयर खसरा नं. 618 रकबा 0.20 हैक्टेयर व खसरा नं. 619 रकबा 0.32 हैक्टेयर भूमि पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3-ए के अर्न्तगत एकल पट्टा अनुमोदन बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर आवेदित भूमि पर प्रचलित प्रावधान अनुसार पैरामीटर्स देते हुये मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3-ए के अर्न्तगत एकल पट्टा अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या:-14 (जोन-11) - (246/19.07.2017)

विषय :- निजी खातेदारी की योजना मंगलम ग्रांडसिटी ई पार्ट-प्रथम (द्वारका) ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर के भूखण्ड संख्या आर-1 क्षेत्रफल 4325 वर्ग मीटर व आर-2 क्षेत्रफल 3377.66 वर्ग मीटर का पुर्नगठन कर मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3-ए के तहत एकल पट्टा अनुमोदन बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निजी खातेदारी की योजना मंगलम ग्रांडसिटी ई पार्ट-प्रथम (द्वारका) ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर के भूखण्ड संख्या आर-1 क्षेत्रफल 4325 वर्ग मीटर व आर-2 क्षेत्रफल 3377.66 वर्ग मीटर का पुर्नगठन कर मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3-ए के तहत एकल पट्टा अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया। पुर्नगठित भूखण्ड पर पैरामीटर्स प्रचलित प्रावधान अनुसार देय होंगे।

एजेण्डा संख्या:-15 (जोन-11) - (246/19.07.2017)

विषय :-निजी खातेदारी की अनुमोदित योजना मंगलम ग्राण्ड सिटी में सृजित 1000 वर्ग मीटर से 2500 वर्ग मीटर तक के भूखण्डों के सैटबैक में भवन विनियमानुसार संशोधन किये जाने के संबंध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निजी खातेदारी की अनुमोदित योजना मंगलम ग्राण्ड सिटी में सृजित 1000 वर्ग मीटर से 2500 वर्ग मीटर तक के भूखण्डों के सैटबैक में भवन विनियमानुसार दिये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या:-16 (जोन-11) - (246/19.07.2017)

विषय :-ग्राम ठिकरिया तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 747/3 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नं. 733 रकबा 1.01 हैक्टेयर कुल कित्ता 2 रकबा 1.15 हैक्टेयर भूमि पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना प्रोविजन 3ए के अर्न्तगत एकल पट्टा अनुमोदन बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर आवेदित भूमि का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2025 में यू-2 (LIZ) है अतः तदअनुरूप पैरामीटर्स देते हुये मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3-ए के अर्न्तगत एकल पट्टा अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या:-17 (जोन-12) - (246/19.07.2017)

विषय:-ग्राम बिन्दायका तहसील जयपुर के खसरा नं. 343/1, 343 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3-ए के अर्न्तगत एकल पट्टा अनुमोदन बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर आवेदित भूमि पर प्रचलित प्रावधान अनुसार पैरामीटर्स देते हुये मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3-ए के अर्न्तगत एकल पट्टा अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया एवं जोन के प्रस्ताव अनुसार 18 मीटर सडक के अलाईन्मेंट के संबंध में आवेदक से शपथ प्राप्त किया जावे।

एजेण्डा संख्या:-18 (जोन-12) - (246/19.07.2017)

विषय :-ग्राम पीथावास तहसील जयपुर व जिला जयपुर के खसरा नं. 63/3 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा में से 5 बिस्वा व खसरा नं. 90 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा में से 4 बीघा 3 बिस्व कुल 4 बीघा 8 बिस्वा भूमि का मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3-ए के अर्न्तगत एकल पट्टा अनुमोदन बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर आवेदित भूमि पर प्रचलित प्रावधान अनुसार पैरामीटर्स देते हुये मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3-ए के अर्न्तगत एकल पट्टा अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या:-19 (जोन-12) - (246/19.07.2017)

विषय :-ग्राम जैतपुरा व चौमूं तहसील आमेर जिला जयपुर की निजी खातेदारी की योजना मंगलम औद्योगिक सिटी योजना के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या सी-1 क्षेत्रफल 3403.72 वर्ग गज व भूखण्ड संख्या सी-2 क्षेत्रफल 3164.74 वर्ग गज भूमि का मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3-ए के अर्न्तगत एकल पट्टा अनुमोदन बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम जैतपुरा व चौमूं तहसील आमेर जिला जयपुर की निजी खातेदारी की योजना मंगलम औद्योगिक सिटी योजना के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या सी-1 क्षेत्रफल 3403.72 वर्ग गज व भूखण्ड संख्या सी-2 क्षेत्रफल 3164.74 वर्ग गज भूमि का पुर्नगठन कर मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3-ए के तहत एकल पट्टा अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया। पुर्नगठित भूखण्ड पर पैरामीटर्स प्रचलित प्रावधान अनुसार देय होंगे।

एजेण्डा संख्या:-20 (जोन-12) - (246/19.07.2017)

विषय :-निजी खातेदारी की आवासीय योजना सनसिटी फेज-1 एवं II की रिप्लानिंग में संशोधन शुल्क निर्धारण करने के संबंध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि निजी खातेदारी की आवासीय योजना सनसिटी फेज-1 एवं II की रिप्लानिंग में बीपीसी एलपी की 233वीं बैठक दिनांक 02.02.2006 में लिये गये निर्णय एवं उक्त निर्णय के परीपेक्ष में जारी आदेश क्रमांक जविप्रा/बीपीसी एलपी/2016/डी-24 दिनांक 11.02.2016 अनुरूप संशोधन शुल्क लिया जावे। संशोधन शुल्क लिये जाने पर पुनः उपविभाजन/पुर्नगठन शुल्क देय नहीं होगा।

एजेण्डा संख्या:-21 (जोन-12) - (246/19.07.2017)

विषय :-ग्राम नृसिंहपुरा तहसील सांगानेर के खसरा संख्या 243/2, 246, 247/2 कुल किता 3 रकबा 1.12 हैक्टेयर भूमि का मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3-ए के अर्न्तगत एकल पट्टा अनुमोदन बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि पूर्व में आवेदित भूमि के समीपस्थ अन्य अफोर्डेबल हाउसिंग योजना मैसर्स सिनटैक्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड का अनुमोदन किया गया उक्त योजना से आवेदित भूमि को 30' चौड़ी सडक से पहुंच मार्ग उपलब्ध है। अतः आवेदित भूमि पर प्रचलित प्रावधान अनुसार पैरामीटर्स देते हुये मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3-ए के अर्न्तगत एकल पट्टा अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या:-22 (जोन-12) - (246/19.07.2017)

विषय :-ग्राम सिरसी तहसील सांगानेर के खसरा संख्या 1723, 1732/1 कुल किता 2 रकबा 4 बीघा भूमि का मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3-ए के अर्न्तगत एकल पट्टा अनुमोदन बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर आवेदित भूमि पर प्रचलित प्रावधान अनुसार पैरामीटर्स देते हुये मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3-ए के अर्न्तगत एकल पट्टा अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या:-23 (जोन-12) - (246/19.07.2017)

विषय :-ग्राम किशोरपुरा कांकरोदा तहसील जयपुर के खसरा नं. 58/2, 57/2, 68, 69/1, 71, 71/136, 72, 74, 73/1, 87, 76/1, 78/1 कुल किता 12 रकबा 18 बीघा 5 बिस्वा एवं ग्राम जयसिंहपुरा कांकरोदा तहसील जयपुर के

खसरा नं. 44शा, 45/1, 42/1, (43, 48, 49, 53, 54 शा.न.) 42/235 (43, 48, 49, 53, 54 शा.न.) कुल किता 3 रकबा 15 बीघा इस प्रकार कुल किता 15 कुल रकबा 33 बीघा 5 बिस्वा भूमि पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3-ए के अर्न्तगत एकल पट्टा अनुमोदन बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर आवेदित भूमि पर प्रचलित प्रावधान अनुसार पैरामीटर्स देते हुये मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3-ए के अर्न्तगत एकल पट्टा अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया एवं उपायुक्त जोन द्वारा रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज खसरा नम्बरों को मास्टर प्लान 2025 पर अंकित करते हुये मारटर प्लान शाखा को भिजवाया जावे जिससे कि तदनुरूप नाले की स्थिति को सही स्थान पर मास्टर प्लान में अंकित किया जा सके।

एजेण्डा संख्या:-24 (जोन-14) - (246/19.07.2017)

विषय :-ग्राम बडी का बास तहसील सांगानेर के खसरा संख्या 107 रकबा 0.41 हैक्टेयर, खसरा संख्या 108 रकबा 0.73 हैक्टेयर, खसरा संख्या 113 रकबा 0.55 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 1.69 हैक्टेयर भूमि का मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3-ए के अर्न्तगत एकल पट्टा अनुमोदन बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर आवेदित भूमि पर प्रचलित प्रावधान अनुसार पैरामीटर्स देते हुये मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3-ए के अर्न्तगत एकल पट्टा अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या:-25 (जोन-14) - (246/19.07.2017)

विषय :-निजी खातेदारी की योजना वाटिका स्टेट (बैंकर्स एनक्लेव) ग्राम वाटिका ग्वार जाटान तहसील सांगानेर के मानचित्र में संशोधन बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निजी खातेदारी की योजना वाटिका स्टेट (बैंकर्स एनक्लेव) ग्राम वाटिका ग्वार जाटान तहसील सांगानेर के प्रस्तावित संशोधित मानचित्र अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या:-26 (जोन-14) - (246/19.07.2017)

विषय :-ग्राम विमलपुरा तहसील सांगानेर के खसरा संख्या 429 रकबा 1.27 हैक्टेयर (7206.33 वर्ग मीटर) की जारी लीजडीड को संशोधित कर मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3-ए के अर्न्तगत एकल पट्टा अनुमोदन बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर आवेदित भूमि पर प्रचलित प्रावधान अनुसार पैरामीटर्स देते हुये मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3-ए के अर्न्तगत एकल पट्टा अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या:-27 (जोन-14) - (246/19.07.2017)

विषय:-ग्राम मथुरावाला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 314/462, 323/2, 324 व 314/463 किता 4 रकबा 0.53 हैक्टेयर भूमि पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3-ए के अर्न्तगत एकल पट्टा अनुमोदन बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर आवेदित भूमि पर प्रचलित प्रावधान अनुसार पैरामीटर्स देते हुये मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3-ए के अर्न्तगत एकल पट्टा अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या:-28 (जोन-14) - (246/19.07.2017)

विषय:-ग्राम लक्ष्मीपुरा उर्फ नाटाणीवाला तहसील सांगानेर का कुल क्षेत्रफल 2604.45 वर्ग मीटर भूमि पर संस्थानिक हास्पिटल प्रयोजनार्थ पुर्नगठन एवं एकल पट्टा अनुमोदन बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी लीजडीड (खसरा नं. 81/2 व 82/2) को समर्पित करवाई जावे तथा पूर्व में जमा संपूर्ण राशि को आवेदक को नहीं लौटाये जाने या समायोजित भी नहीं किये जाने की शर्त पर संपूर्ण भूमि (कुल क्षेत्रफल 2604.45 वर्ग मीटर) भूमि पर संस्थानिक हास्पिटल प्रयोजनार्थ एकल पट्टा अनुमोदन किया जावे। पुर्नगठित राशि आवेदक से नहीं ली जावे। भूखण्ड पर प्रचलित प्रावधान अनुसार पैरामीटर्स देय होंगे।

एजेण्डा संख्या:-29 (जोन-14) - (246/19.07.2017)

विषय:-ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर के खसरा नं. 5641 कुल किता 1 रकबा 0.58 हैक्टेयर भूमि पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3-ए के अर्न्तगत एकल पट्टा अनुमोदन बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर आवेदित भूमि पर प्रचलित प्रावधान अनुसार पैरामीटर्स देते हुये मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3-ए के अर्न्तगत एकल पट्टा अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या:-30 (जोन-14) - (246/19.07.2017)

विषय:-ग्राम खेडाजगन्नाथपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 765/783 एवं 76/3 कुल किता 2 रकबा 0.65 हैक्टेयर भूमि पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3-ए के अर्न्तगत एकल पट्टा अनुमोदन बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर आवेदित भूमि पर प्रचलित प्रावधान अनुसार पैरामीटर्स देते हुये मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3-ए के अर्न्तगत एकल पट्टा अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या:-31 (मास्टर प्लान) - (246/19.07.2017)

विषय:-रिंग रोड परियोजना के मिश्रित भू-उपयोग के भूखण्डों के सैटबैक व अन्य मापदण्ड निर्धारित करने बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर रिंग रोड परियोजना के मिश्रित भू-उपयोग के भूखण्डों के सैटबैक व अन्य मापदण्ड प्रचलित भवन विनियम अनुसार दिये जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-1 (जोन-8) - (246/19.07.2017)

विषय:-निजी खातेदारी की आवासीय योजना केसर नगर के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 23 व 24 की withdraw noc को बहाल करने बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर इन्टर सेक्शन की दूरी के संबंध में जोन द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट करवाये जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-2 (जोन-8) - (246/19.07.2017)

विषय:-ग्राम सायपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 117/2 रकबा 0.37 हैक्टेयर 118/2 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 120 रकबा 0.42 हैक्टेयर, 902/394 रकबा 0.02 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.93 हैक्टेयर भूमि पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना प्रोविजन 3ए के अर्न्तगत एकल पट्टा अनुमोदन किये जाने के संबंध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर आवेदित भूमि भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2025 में रिक्रियेशनल होने के कारण प्रकरण को स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-3 (जोन-8) - (246/19.07.2017)

विषय:-ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 210 रकबा 0.2714 हैक्टेयर 211 रकबा 0.58 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.8514 हैक्टेयर भूमि पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना प्रोविजन 3ए के अर्न्तगत एकल पट्टा अनुमोदन किये जाने बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर चारागाह भूमि पर निर्मित सडक का राजस्व रिकार्ड से पुनः परीक्षण करवाकर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-4 (जोन-9) - (246/19.07.2017)

विषय :-निजी खातेदारी की आवासीय योजना बॉस एनक्लेव में अंकित भूमि सुविधा क्षेत्र का एण्ड यूज निर्धारण करने के संबंध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निजी खातेदारी की आवासीय योजना बॉस एनक्लेव में स्वीकृत सुविधा क्षेत्र की 1000 वर्ग गज भूमि का एण्डयूज उच्च जलाशय एवं स्वच्छ जलाशय (PHED) हेतु निर्धारित करने तथा शेष भूमि का एण्डयूज पार्क किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-5 (जोन-11) - (246/19.07.2017)

विषय:-ग्राम जयसिंहपुरा बास भांकरोटा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 601 रकबा 0.56 हैक्टेयर, खसरा नं. 602 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नं. 602/1 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नं. 606/2 रकबा 0.14 हैक्टेयर कुल किता 4 रकबा 0.86 भूमि पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना प्रोविजन 3ए के अर्न्तगत एकल पट्टा अनुमोदन किये जाने बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर आवेदित भूमि पर प्रचलित प्रावधान अनुसार पैरामीटर्स देते हुये मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3-ए के अर्न्तगत एकल पट्टा अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-6 (जोन-11) - (246/19.07.2017)

विषय :-ग्राम खटवाडा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 1278/332 रकबा 2.16 हैक्टेयर में से रकबा 0.116 हैक्टेयर भूमि पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना प्रोविजन 3ए के अर्न्तगत एकल पट्टा अनुमोदन किये जाने बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर आवेदित भूमि पर प्रचलित प्रावधान अनुसार पैरामीटर्स देते हुये मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3-ए के अर्न्तगत एकल पट्टा अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-7 (जोन-11) - (246/19.07.2017)

विषय:-ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 1437 से 1441, 1436/1745/1839 कुल किता 6 रकबा 2.23 हैक्टेयर में से 17496.00 वर्ग मीटर अनुमोदित पट्टा शुदा भूमि के दक्षिण भाग में से मास्टर विकास योजना 2025 के अर्न्तगत 60.00 मीटर चौड़ी स्वीकृत सडक के संबंध में।

मास्टर विकास योजना 2025 में अजमेर रोड से नेवटा को जाने वाली सडक 60.00 मीटर स्वीकृत है। पूर्व में जोन द्वारा विद्यमान सडक से दोनों ओर समान भूमि लेते हुये आवेदक की भूमि में से सडक सीमा की भूमि समर्पित करवाई गई थी, किन्तु वर्तमान में मास्टर प्लान पर प्रश्नगत सडक का सुपरईम्पोज करने पर आवेदक की 2020.00 वर्ग मीटर भूमि सडक में निहित होती है, तदनुसरूप सडक की भूमि निःशुल्क समर्पित करवाई जावे।

प्रश्नगत भूमि के उत्तरी ओर स्थिति सडक मास्टर प्लान या सेक्टर प्लान की सडक नहीं है, इसलिये इस सडक की चौड़ाई 9.00 मीटर रखी जावे। तदनुसरूप सडक की 296.00 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क समर्पित करवाई जावे।

प्रश्नगत भूमि के उत्तरी ओर स्थित खसरा नं. 1444 से 1447 की पूर्व में जारी लीजडीड में उपरोक्तानुसार संशोधन कर संशोधित लीजडीड व साईट प्लान जारी किया जावे।

प्रश्नगत रीवा लैण्ड डवलपर्स को लीजडीड दिनांक 12.07.2011 को जारी की गई। मास्टर प्लान 2025 के अनुमोदन से पूर्व समस्त जोन से किये गये कमिटमेंट चाहे गये थे किन्तु जोन द्वारा उक्त कमिटमेंट को नहीं भिजवाया गया तथा मास्टर प्लान का अनुमोदन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 06.09.2011 को किया गया। जोन में ततसमय पदस्थापित सहायक नगर नियोजक की जिम्मेदारी तय करते हुये उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव निदेशक आयोजना द्वारा अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन को 15 दिवस में भिजवाया जावे।

प्रश्नगत भूखण्ड के दक्षिणी ओर मास्टर विकास योजना 2025 की 60.00 मीटर सडक स्वीकृत है जो अजमेर रोड से नेवटा को जाने वाली 60.00 मीटर चौड़ी सडक से रिंग रोड को जोडती है उक्त सडक केवल लगभग 400 मीटर लंबाई में ही प्रस्तावित है जिसमें 175 मीटर तक रीवा लैण्ड डवलपर्स का भूखण्ड है जिसका पट्टा जविप्रा द्वारा दिया जा चुका है तथा सडक का शेष भाग ढाणी (आबादी क्षेत्र) से व अन्य खसरा नम्बरान से गुजरता है। इसलिये इस सडक को 60.00 मीटर चौड़ी बनाया जाना संभव नहीं हो सकेगा। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर उक्त सडक को 30.00 मीटर चौड़ी रखते हुये आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने निर्णय लिया गया। आपत्ति/सुझाव प्राप्त होने पर उपायुक्त जोन द्वारा परीक्षण/निस्तारण उपरांत प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-8 (जोन-12) - (246/19.07.2017)

विषय :- राजस्व ग्राम सिरसी तहसील व जिला जयपुर के खसरा नं. 400, 401 रकबा 7153.35 वर्ग मीटर भूमि पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रोविजन 3ए अर्न्तगत एकल पट्टा अनुमोदन बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर आवेदित भूमि पर प्रचलित प्रावधान अनुसार पैरामीटर्स देते हुये मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3-ए के अर्न्तगत एकल पट्टा अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-9 (जोन-12) - (246/19.07.2017)

विषय:-निजी खातेदारी की योजना सनासेटी फेज प्रथम निस्तार प्रथम आवासीय योजना में इंडक्पूरस एलआईजी भूखण्डों को योजना में उपलब्ध कराये जाने के संबंध में निर्णय बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आवेदक के प्रस्ताव अनुसार निजी खातेदारी की योजना सनसिटी फेज प्रथम विस्तार प्रथम आवासीय योजना में ईडब्ल्यूएस एलआईजी के भूखण्डों को इसी योजना में प्रस्तावित करते हुये योजना मानचित्र प्रस्तुत किया गया जिसे समिति द्वारा स्वीकार करते हुये अनुमोदित किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-10 (जोन-12) - (246/19.07.2017)

विषय:-ग्राम सिरसी तहसील जयपुर के खसरा नं. 1595, 1669, 1593 कुल किता 3 रकबा 4 बीघा 04 बिस्वा भूमि पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना प्रोविजन 3ए के अर्न्तगत एकल पट्टा अनुमोदन किये जाने बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर 24 मीटर चौड़ी ग्रामीण सडक को यथावत रखते हुये आवेदित भूमि पर प्रचलित प्रावधान अनुसार पैरामीटर्स देते हुये मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3-ए के अर्न्तगत एकल पट्टा अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-11 (जोन-13) - (246/19.07.2017)

विषय:-ग्राम भम्भोरी तहसील जयपुर में अफोडेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 के अर्न्तगत अनुमोदित भूखण्ड पर आवागमन हेतु जविप्रा भूमि में से अस्थाई रास्ता निश्चित समयावधि तक दिये जाने बाबत्।

आवेदक द्वारा जविप्रा की भूमि से अस्थाई रास्ता देने का प्रस्ताव दिया गया उक्त रास्ते क सबध में उपायुक्त जोन द्वारा समिति को अवगत करवाया गया कि उक्त भूमि की किस्म चारागाह है अतः वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन रिट पिटिशन संख्या 1554/2004 के परीपेक्ष्य में समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम भम्भोरी तहसील जयपुर में अफोडेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 के अर्न्तगत अनुमोदित भूखण्ड पर आवागमन हेतु जविप्रा भूमि में से अस्थाई रास्ता नहीं दिये जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-12 (जोन-13) - (246/19.07.2017)

विषय:-ग्राम लूनियावास तहसील आमेर के खसरा संख्या 50/503 रकबा 0.07 हैक्टेयर, 339 रकबा 0.70 हैक्टेयर, 50/504 रकबा 0.15 हैक्टेयर एवं 340 रकबा 1.14 हैक्टेयर किता 4 रकबा 2.06 हैक्टेयर भूमि में से 10342.00 वर्ग मीटर भूमि पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना प्रोविजन 3ए के अर्न्तगत एकल पट्टा जारी किये जाने के सबंध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर आवेदित भूमि का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 में ईकोलोजिकल दर्शित है अतः वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट पिटिशन संख्या 1554/2004 के परीपेक्ष्य में प्रकरण को स्थगित रखा जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-13 (जोन-14) - (246/19.07.2017)

विषय:-ग्राम बीलवाकला तहसील सांगानेर का कुल क्षेत्रफल 05350 हैक्टेयर भूमि पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना प्रोविजन 3ए के अर्न्तगत एकल पट्टा अनुमोदन किये जाने बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर आवेदित भूमि पर प्रचलित प्रावधान अनुसार पैरामीटर्स देते हुये मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3-ए के अर्न्तगत एकल पट्टा अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-13 (जोन-14) - (246/19.07.2017)

विषय:-जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर के खसरा नं. 5637, 3624, 5638, 3614, 5639, 3552, 5640, 3553, 3564, 3643, 3565, 5644, 3566, 5645, 3585, 3617, 3586, 3618, 3597, 3619, 3630, 3620, 3631, 3623, 3632, कुल किता 25 रकबा 7.37 हैक्टेयर 90-ए शुदा भूमि एवं ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर के खसरा नं 3549, 3550, 3551, 3622, 3628, 3554, 3555, 3602/3, 3605, 3602/1, 3556, 3602/4, 3557, 3558, 3590, 3602/02, 3606, 3560, 3561, 3562, 3559, 3563, 3587, 3588, 3589, 3591, 3592, 3626, 3627, 3629 किता 30 रकबा 7.22 हैक्टेयर 90बी शुदा भूमि कुल 14.59 हैक्टेयर भूमि पर "रॉयल जैन सिटी आवासीय योजना" मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

उपायुक्त द्वारा प्रकरण को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित योजना का अनुमोदन किया जाये।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-14 (उपायुक्त-पीआरएन दक्षिण-प्रथम) - (246/19.07.2017)

विषय:-हसनपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना श्रीराम विहार के भूखण्ड संख्या 199 के सैटवैक के संबंध में।

उपायुक्त द्वारा प्रकरण को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.10(7) नविवि/3/2009 पार्ट-III दिनांक 11.05.2017 अनुसार कार्यवाही जोन स्तर पर सुनिश्चित की जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-15 (उपायुक्त-पीआरएन दक्षिण-प्रथम) - (246/19.07.2017)

विषय:- नेहरू गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना तिरुपति विहार-सी के भूखण्ड संख्या सी-199-ए के सैटबैक के संबंध में।

उपायुक्त द्वारा प्रकरण को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.10(7) नविवि/3/2009 पार्ट-III दिनांक 11.05.2017 अनुसार कार्यवाही जोन स्तर पर सुनिश्चित की जावे।


नीतिगत निर्णय:-

विषय:- मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अर्न्तगत सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि के संबंध में।

मुख्यमंत्री जन आवास योजना के एकल पट्टा अनुमोदन के प्रस्ताव प्राप्त होने पर विकासकर्ता/आवेदक को 5 प्रतिशत भूमि समर्पित करवाया जाना प्रावधानित था। नगरीय विभाग के परिपत्र दिनांक 03.04.2017 के अनुसार 5 प्रतिशत आरक्षित सुविधा क्षेत्र के स्थान पर कुल EWS/LIG कहेतु सकल निर्मित क्षेत्रफल का 1 प्रतिशत जनसामुदायिक सुविधा का निर्माण किया जाना प्रावधानित किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह नीतिगत निर्णय लिया गया कि जिन प्रकरणों में पूर्व में 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र हेतु भूमि समर्पित करवाये जाने का निर्णय लिया जा चुका है। उनमें अब कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 03.04.17 के कारण भविष्य में जविप्रा को जनसुविधा हेतु भूमि उपलब्ध नहीं हो पाएगी। अतः उक्त आदेश पर पुनर्विचार हेतु प्रकरण राज्य सरकार को अग्रेषित किया जावे।



सदस्य सचिव

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान)

क्रमांक: जविप्रा/ स.स/बीपीसी (एल.पी.)/2017/डी-74 दिनांक:- 02/08/17

प्रतिलिपी सूचनार्थ:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक (नगर आयोजना) जविप्रा, जयपुर।
4. अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व/पश्चिम/पीआरएन/एल.पी.सी-भूमि) जविप्रा, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान)/बीपी जविप्रा, जयपुर।
6. उपायुक्त जोन 1 से 14 एव पृथ्वीराज नगर उत्तर/दक्षिण जविप्रा, जयपुर।
7. विशेषाधिकारी जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।
8. उप रजिस्ट्रार सहकारिता, जविप्रा, जयपुर।


सदस्य सचिव

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान)

9/9